



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220679
CG-DL-E-24072020-220679

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]
No. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/ श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/ SRAVANA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 463 (अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2020 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में “अनुलग्नक” में, शीर्षक “ख. भारतीय लेखा मानक इंड एस” के अधीन,-

(क) “भारतीय लेखा मानक इंड एस 103” में,-

- (i) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3 एक अस्तित्व इस भारतीय लेखा मानक इंड एस में, दी गयी परिभाषा के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि क्या एक संव्यवहार या अन्य घटना एक व्यावसायिक संयोजन है या नहीं, यह भारतीय लेखा मानक यह अपेक्षा करता है कि अधिग्रहीत की गयी आस्तियों और ग्रहण किए गए दायित्वों से एक व्यवसाय का गठन होता है। यदि अधिग्रहीत की गयी आस्तियां एक व्यवसाय नहीं है तो रिपोर्टिंग करने वाला अस्तित्व विशेष संव्यवहार या अन्य घटना का लेखा एक आस्ति ग्रहण के रूप में करेगा। पैरा ख5-ख12घ एक व्यावसायिक संयोजन की पहचान और एक व्यवसाय की परिभाषा हेतु दिशा- निर्देश प्रदान करते हैं।”

(ii) पैरा 64ण के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“64त व्यवसाय की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 103 में संशोधन), के अंतर्गत पैरा ख7क-ख7ग, ख8क एवं ख12क-ख12घ जोड़े गए हैं, परिशिष्ट क में शब्द ‘व्यवसाय’ की परिभाषा को संशोधित किया गया है, पैरा 3, ख7-ख9, ख11 व ख12 संशोधित किए गए हैं और पैरा ख10 को हटा दिया गया है। एक अस्तित्व इन संशोधनों को ऐसे व्यावसायिक संयोजनों पर लागू करेगा जिनकी अधिग्रहण तारीख 1 अप्रैल 2020 को या इसके बाद की तारीख से प्रारंभ होने वाली प्रथम वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ की तारीख या बाद की तारीख हो। ये संशोधन उन आस्ति अधिग्रहणों पर भी लागू होंगे जो उक्त अवधि के प्रारंभ या बाद की तारीख को हुए हैं।”

(iii) परिशिष्ट क में, व्यवसाय की परिभाषा को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“व्यवसाय गतिविधियों और आस्तियों का एक ऐसा समेकित समुच्चय जो ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने, निवेश आय (जैसे कि लाभांश या ब्याज) का सृजन करने या सामान्य गतिविधियों से अन्य आय के सृजन के लिए संचालित की जाती है और उनका प्रबंध किया जाता है।”

(iv) परिशिष्ट ख में,

(I) पैरा ख7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख7 एक व्यवसाय उन निवेशों और प्रक्रियाओं के संयोग से बना होता है जिनका प्रयोग उत्पाद की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। एक व्यवसाय के तीन तत्वों की परिभाषा इस प्रकार है (व्यवसाय के तत्वों पर मार्गदर्शन के लिए पैरा ख8-ख12घ का अवलोकन करें):

(क) निवेश : कोई भी आर्थिक संसाधन जो एक या अधिक प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादों की रचना करता है या फिर उत्पादों की रचना में अंशदान करने की क्षमता रखता है। उदाहरणतया गैर चालू आस्तियों (अमूर्त आस्तियां या गैर चालू आस्तियों के प्रयोग के अधिकारों सहित) बौद्धिक सम्पत्ति आवश्यक सामग्रियों या अधिकारों व कर्मचारियों तक पहुंच की योग्यता।

(ख) प्रक्रिया : कोई प्रणाली, मानक, नयाचार, परिपाटी या नियम, जिसे जब एक निवेश या निवेशों पर लागू किया जाता है तो वह उत्पादों की रचना करता है या उत्पादों की रचना करने के लिए योगदान देने की योग्यता रखता है। रणनीतिक प्रबंध प्रक्रियाएं, परिचालन प्रक्रियाएं और संसाधन प्रबंध प्रक्रियाएं, उदाहरण में अंतःस्थापित हैं। ये विशिष्ट प्रक्रियाएं सामान्यतया प्रलेखित होती हैं लेकिन एक संगठित, कौशल संपन्न, नियमों व परिपाटियों का अनुसरण करने वाले संगठित कार्य दल की बौद्धिक क्षमता भी ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रदान कर सकता है जो निवेशों पर प्रयोग की जा सकती हैं ताकि उत्पादों की रचना हो सके। (लेखा, बिलिंग, वेतन वेतन पत्रक और अन्य प्रशासकीय कार्यदल, उत्पादों की रचना के हेतु प्रक्रियाएं नहीं हैं।

(ग) उत्पाद : ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने, निवेश पर आय (जैसे कि लाभांश या ब्याज) को उत्पन्न करने वाली या फिर, सामान्य गतिविधियों से अन्य आय को उत्पन्न करने वाली निवेशों व प्रक्रियाओं पर लागू की गयी प्रक्रियाएं का परिणाम।”

(II) पैरा ख7 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“उचित मूल्य की सघनता का पता लगाने का वैकल्पिक परीक्षण

“ख7क पैरा ख7ख में एक वैकल्पिक परीक्षण (सघनता परीक्षण) निर्धारित किया गया है जो एक सरलीकृत मूल्यांकन की अनुमति देता है कि गतिविधियों व आस्तियों का अधिग्रहीत समुच्चय एक व्यवसाय नहीं है। एक अस्तित्व के लिए इस परीक्षण के प्रयोग करने या न करने का विकल्प उपलब्ध है। अस्तित्व इस चयन

का प्रयोग अलग-अलग रूप से प्रत्येक संव्यवहार या अन्य घटना के लिए कर सकता है। इस सघनता परीक्षण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं:

- (क) यदि सघनता परीक्षण संपन्न होता है और गतिविधियों व आस्तियों का समुच्चय यह निर्धारित करता है कि वह व्यवसाय नहीं है तो आगे के किसी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) यदि सघनता परीक्षण संपन्न नहीं होता है या अस्तित्व यह चयन करता है कि परीक्षण का प्रयोग न किया जाए, तो अस्तित्व पैरा ख8-ख12घ में निर्धारित मूल्यांकन का निर्वाह करेगा।

ख7ख एक सघन परीक्षण तभी संपन्न होता है जब अधिग्रहीत सकल आस्तियों का अधिकांश उचित मूल्य एक इकहरे पहचान योग्य आस्ति या एक प्रकार की पहचान योग्य आस्तियों का समूह सघनित हो। सघनता परीक्षण के लिए:-

- (क) अधिग्रहीत सकल आस्तियों में आस्थगित कर दायित्वों के प्रभावों के परिणामस्वरूप नकदी व नकदी-तुल्य आस्थगित कर आस्तियां व गुडविल को अंतःस्थापित नहीं किया जाएगा।
- (ख) अधिग्रहीत सकल आस्तियों के उचित मूल्य में अधिग्रहीत शुद्ध पहचान योग्य के उचित मूल्य के ऊपर अन्तरित प्रतिफल (किसी अनियंत्रित ब्याज और पूर्व धारित ब्याज सहित) अंतःस्थापित होंगे। अधिग्रहीत सफल आस्तियों के उचित मूल्य का निर्धारण सामान्यतया अन्तरित प्रतिफल के उचित मूल्य को जोड़कर आयी राशि में (जिसमें अनियंत्रक ब्याज का उचित मूल्य ग्रहीत दायित्वों (जिनमें आस्थगित कर दायित्व अंतःस्थापित नहीं होंगे) और उप पैरा (क) में पहचानमुद्रा भी शामिल नहीं होगी। लेकिन अधिग्रहीत सकल आस्तियों का उचित मूल्य उस जोड़ से अधिक है तो अधिक व उचित गणना की आवश्यकता होगी।
- (ग) एक इकहरी पहचान योग्य आस्ति में एक आस्ति या आस्तियों का समूह, जिसे एक व्यावसायिक संयोजन में एक इकहरी पहचान योग्य आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और माप किया जाता है, अंतःस्थापित होगा।
- (घ) ऐसी आस्तियां भी इकहरी पहचान योग्य आस्ति की श्रेणी में आएंगी जब एक मूर्त आस्ति दूसरे के साथ इस तरह से सम्बंधित है कि उन्हें (भारतीय लेखा मानक 116, पट्टे, में यथा परिभाषित एक पट्टे के अधीन) और कोई विशेष व्यय खर्च किए बिना या उस आस्ति (उदाहरण स्वरूप भूमि व भवन) उपयोग या उचित मूल्य में कोई अधिक क्षरण हुए बिना अलग न किया जा सके।
- (ङ) यह निर्धारित करने के लिए कि आस्तियां एक जैसी हैं, एक अस्तित्व को प्रत्येक इकहरी पहचान योग्य आस्ति की प्रकृति पर विचार करना चाहिए। साथ ही वह यह भी विचार करे कि उसके प्रबंधक एवं उत्पादों के निर्माण से जुड़े कौन से जोखिम हैं (अर्थात् जोखिम अभिलक्षण)
- (च) निम्नलिखित प्रकार की आस्तियां एक-जैसी आस्तियों की श्रेणी में नहीं आएंगी।

- (i) एक मूर्त व एक अमूर्त आस्ति;
- (ii) ऐसी मूर्त आस्तियां जो विभिन्न श्रेणियों की हों (जैसे कि सूची सामान विनिर्माणी उपस्कर व मोटरगाड़ी) जब तक उन्हें उपर्युक्त उप-पैरा (घ) के मानदण्ड अनुसार इकहरी पहचान योग्य आस्ति माना गया हो;
- (iii) विभिन्न श्रेणियों की पहचान योग्य अमूर्त आस्तियां (जैसे कि ब्रांडनाम, लाइसेंस व विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां) ;
- (iv) एक वित्तीय आस्ति व एक गैर-वित्तीय आस्ति;
- (v) अलग-अलग श्रेणियों की वित्तीय आस्तियां (जैसे कि लेखे प्राप्य राशियां एवं साधारण लिखतों में निवेश)
- (vi) ऐसी पहचान योग्य आस्तियां जो आस्ति की समान श्रेणी के अन्तर्गत हैं लेकिन उन आस्तियों में जोखिम अभिलक्षण अलग-अलग है।

ख7ग पैरा ख7ख की अपेक्षाएं भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 38, *अमूर्त आस्तियां*, में एक जैसी आस्तियों में दिए गए मार्गदर्शन का संशोधन नहीं करती है तथा भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 16, *सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर*, भारतीय लेखा मानक 38 एवं भारतीय लेखा मानक 107, *वित्तीय लिखत:प्रकटन*, में दिये गए शब्द 'श्रेणी' पर मार्गदर्शन का संशोधन नहीं करती है।"

(III) पैरा ख8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"व्यवसाय के तत्व

ख8 यद्यपि कारोबारों में आमतौर पर उत्पाद होते हैं लेकिन एक व्यवसाय की योग्यता के लिए गतिविधियों व आस्तियों के समन्वित समुच्चय के लिए उत्पादों की आवश्यकता नहीं है। एक व्यवसाय की परिभाषा में निश्चित प्रयोजन के लिए संचालन व प्रबंध में सक्षम होने के लिए, गतिविधियों एवं आस्तियों का एकीकृत समुच्चय के लिए दो अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है- निवेशों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग के लिए प्रक्रियाएं। एक व्यवसाय में उन सभी निवेशों या उन प्रक्रियाओं को अंतःस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती जिन्हें एक विक्रेता व्यवसाय के परिचालन में प्रयोग में लाता है। फिर भी एक व्यवसाय के लिए गतिविधियों एवं आस्तियों का एक एकीकृत समुच्चय में कम से कम एक निवेश और एक ठोस प्रक्रिया अंतःस्थापित होनी चाहिए जो दोनों मिलकर उत्पाद की रचना की क्षमता सृजित करती हैं। पैरा ख12-ख12घ इस बात का निर्धारण करता है कि प्रक्रिया ठोस किस प्रकार होती है।"

(IV) पैरा ख8 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख8क यदि गतिविधियों व आस्तियों का अधिग्रहीत समुच्चय में उत्पाद है, राजस्व की निरंतरता अपने आप में इस बात का संकेत नहीं देती कि निवेश व ठोस प्रक्रिया दोनों अधिग्रहीत है।"

(V) पैरा ख9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख9 एक व्यवसाय के तत्वों की प्रकृति उद्योग अनुसार और एक अस्तित्व की परिचालन संरचना के अनुसार बदलती रहती है जिसमें अस्तित्व के विकास का चरण भी अंतःस्थापित है। स्थापित व्यवसायों में प्रायः विभिन्न प्रकार की निवेशों, प्रक्रियाएं और उत्पाद हो सकते हैं जबकि नये व्यवसायों के पास कुछ ही निवेशों और प्रक्रियाएं होती हैं और कभी-कभी उनके पास केवल एक ही निवेश होती है। लगभग सभी व्यवसायों के पास दायित्व होते हैं परन्तु एक व्यवसाय के लिए दायित्व होने आवश्यक नहीं हैं। इसके अलावा एक गतिविधियों व आस्तियों के अधिग्रहीत समुच्चय, जो कि व्यवसाय नहीं है, उसके कुछ दायित्व हो सकते हैं।"

(VI) पैरा ख10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख10 [परिशिष्ट 1 देखें] ",

(VII) पैरा ख11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख11 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या गतिविधियों व आस्तियों का एक विशिष्ट समुच्चय एक व्यवसाय है इस पर आधारित होगा कि क्या एकीकृत समुच्चय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा एक व्यवसाय के रूप में परिचालित और प्रबंध किए जाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार, यह मूल्यांकन करने में कि क्या एक विशिष्ट समुच्चय एक व्यवसाय है, यह प्रासंगिक नहीं कि क्या एक विक्रेता ने समुच्चय को एक व्यवसाय के रूप में परिचालित किया है या क्या एक अधिग्रहणकर्ता उस समुच्चय को एक व्यवसाय के रूप में परिचालित करने का इरादा रखता है।"

(VIII) पैरा ख12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"यह निर्धारित करना कि क्या अधिग्रहीत प्रक्रिया ठोस है

ख12 पैरा ख12क-ख12घ यह स्पष्ट करते हैं कि इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए कि अधिग्रहीत प्रक्रिया ठोस है जब गतिविधियों व आस्तियों का अधिग्रहीत समुच्चय के पास में उत्पाद नहीं है (पैरा ख12ख) और यदि इसके पास उत्पाद है (पैरा ख12ग)।”

(IX) पैरा ख12 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख12क गतिविधियों और आस्तियों का अधिग्रहीत समुच्चय जिसका अधिग्रहण की तारीख को कोई उत्पाद नहीं है, उदाहरण है एक प्रारंभिक चरण अस्तित्व का जिससे राजस्व उत्पन्न होना शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, यदि अधिग्रहण की तारीख को गतिविधियों और आस्तियों का अधिग्रहीत समुच्चय से राजस्व उत्पन्न हो रहा था, तो इसे उस तारीख को उत्पाद देने वाला माना जाएगा, भले ही बाद में यह बाह्य ग्राहकों से राजस्व उत्पन्न होना बंद हो जाये, उदाहरण के लिए क्योंकि इसे अधिग्रहणकर्ता द्वारा समेकित कर लिया जाएगा।

ख12ख यदि गतिविधियों और आस्तियों का समुच्चय अधिग्रहण तारीख को उत्पाद नहीं रखता, अधिग्रहीत प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का समूह) ठोस कहलाएगा, लेकिन केवल तब यदि:-

- (क) यह अधिग्रहीत निवेश या निवेशों को उत्पादों में विकसित करने या बदलने की क्षमता के लिए अहम विशेष हो;
- (ख) अधिग्रहीत निवेशों में संगठित कार्यदल, जिसके पास उस प्रक्रिया (या उन प्रक्रियाओं के समूह) करने का आवश्यक कौशल, ज्ञान या अनुभव है व अन्य निवेशों जिन्हें संगठित कार्यदल उत्पादों में विकसित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, दोनों अंतःस्थापित है। इन अन्य निवेशों में निम्नलिखित अंतःस्थापित है:-
 - (i) बौद्धिक सम्पत्ति जिसे एक वस्तु या सेवा के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है;
 - (ii) अन्य आर्थिक संसाधन जिन्हें उत्पादों के सृजन के लिए विकसित किया जा सकता है, अथवा
 - (iii) ऐसे अधिकार जिनसे आवश्यक सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने या ऐसे अधिकार जो भावी उत्पादों के सृजन को सक्षम बनाते हैं।

उप-पैरा (ख)(i)-(iii) में उल्लिखित उदाहरणों में प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाधीन अनुसंधान एवं परियोजनाओं, स्थावर संपदा व खनिज हित अंतःस्थापित हैं।

ख12ग यदि गतिविधियों और आस्तियों का समुच्चय अधिग्रहण तारीख पर उत्पाद है तो अधिग्रहीत प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का समूह) ठोस कहलाएगा यदि जब उसे अधिग्रहीत निवेश या निवेशों में लागू किया जाता है:

- (क) यह उत्पादनों के सृजन को जारी रखने के लिए अहम है। साथ ही, अधिग्रहीत निवेशों में वह संगठित कार्यदल भी अंतःस्थापित है जिसके पास उस प्रक्रिया (उन प्रक्रियाओं के समूह) के कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान या अनुभव है, अथवा
- (ख) उत्पादों के सृजन को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, और वह
 - (i) खास या अल्प है, या
 - (ii) उत्पादों के सृजन को जारी रखने की क्षमता में एक बड़ी लागत, प्रयास या विलम्ब के बिना प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती।

ख12घ निम्नलिखित अतिरिक्त चर्चा दोनों पैरा ख12ख व ख12ग का समर्थन करती है:

- (क) एक अधिग्रहीत संविदा एक निवेश है, न कि कोई ठोस प्रक्रिया। इसके बावजूद, एक अधिग्रहीत संविदा उदाहरणस्वरूप सम्पत्ति का आउटसोर्स प्रबंधन अथवा आस्ति का आउटसोर्स प्रबंधन एक संगठित कार्यदल तक पहुंच बना सकती है। एक अस्तित्व इस बात का

निर्धारण करेगा कि संगठित कार्यदल इस प्रकार की संविदा द्वारा अस्तित्व के नियंत्रण में और अधिग्रहीत की ठोस प्रक्रिया का कार्य निष्पादन ठीक से करता है या नहीं। इस निर्धारण में जो कारक विचार में लिये जाते हैं उनमें अवधि व नवीकरण की शर्तों अंतःस्थापित हैं।

(ख) एक अधिग्रहीत संगठित कार्यदल को बदलने में आने वाली कठिनाइयां इस बात के प्रति संकेत करती हैं कि अधिग्रहीत संगठित कार्यदल एक प्रक्रिया पर कार्य करता है जो उत्पादों के सृजन की क्षमता के लिए अहम है।

(ग) एक प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का समूह) तब तक अहम नहीं है जब, उदाहरणस्वरूप, वह उत्पादों के सृजन के लिए अपेक्षित सभी प्रक्रियाओं के संदर्भ में अनुषंगीय या लघु है।”

(v) परिशिष्ट 1 में, पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6 निम्नलिखित पैरा संख्याओं को आई एफ आर एस 3 में 'हटाए गए' के रूप में दिखाया गया हैं। आई एफ आर एस 3 के पैरा संख्याओं के साथ अनुरूपता बनाए रखने के लिए, पैरा संख्याओं को इंड ए एस 103 में बनाए रखा गया है:

(क) पैरा ख10

(ख) पैरा ख28-ख30

(ग) पैरा ख32(क) ”

(ख) “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 107” में,-

(i) पैरा 24छ के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता

24ज भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109 के पैरा 6.8.4-6.8.12 में निर्धारित अपवादों को लागू करते हुए एक अस्तित्व हैजिंग संबंधों में निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :-

(क) महत्वपूर्ण ब्याज-दर बैंचमार्क जो अस्तित्व के हैजिंग संबंधों से अनाश्रित है;

(ख) अस्तित्व द्वारा प्रबंधित ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतया प्रभावित जोखिम 'अभिदर्शन' की सीमा;

(ग) वैकल्पिक बैंचमार्क दरों की परिवर्तन-प्रक्रिया का प्रबंधन अस्तित्व किस प्रकार करता है;

(घ) इन पैरा को लागू करते हुए अस्तित्व द्वारा की गई महत्वपूर्ण अवधारणाओं या निर्णयों का वर्णन (जैसे कि, जब ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता ब्याज-दर बैंचमार्क आधारित नकदी प्रवाहों के समय व राशि विद्यमान नहीं रहती तो उस बारे में अस्तित्व अवधारणाएं रखता है, या निर्णय लेता है); एवं

(ङ) उन हैजिंग संबंधों में हैजिंग लिखतों की नाममात्र राशि।”

(ii) पैरा 44गग के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“44घघ [परिशिष्ट 1 देखें];

44घघ: *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार* (भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109 व भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 107 में संशोधन) के अन्तर्गत पैरा 24ज व 44घघ जोड़े गए हैं। अस्तित्व जब भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109 के संशोधनों को लागू करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।

44घघ उस रिपोर्टिंग अवधि जिसमें अस्तित्व व्याज-दर बैंचमार्क सुधार को प्रथम बार लागू करता है, तो वह (अस्तित्व) भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राकृतियों में परिवर्तन एवं त्रुटियों* के पैरा 28(च) द्वारा अपेक्षित मात्रात्मक सूचना नहीं देगा।”

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5 आई एफ आर एस 7 के पैरा 42झ-42ध भारतीय लेखा मानक 107 में अंतःस्थापित नहीं किये गए हैं क्योंकि वे ‘आई एफ आर एस’ 9 के प्रारंभिक प्रयोग से सम्बंधित हैं और भारतीय सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। इसी तरह प्रभावी तारीख और संक्रमणकाल से सम्बंधित आई एफ आर एस 7 में दिए गए पैरा 43-44खख भारतीय लेखा मानक 107 में नहीं दिए गए हैं क्योंकि वह भारतीय सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, ‘आई एफ आर एस’ 7 के पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 107 में रहने दिया गया है। पैरा 44घघ आईएफआरएस 17 बीमा संविदा से संबंधित है, जिसके लिए तदुत्तरूप भारतीय लेखा मानक को तैयार किया जा रहा है।”

(ग) “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109” में,-

(i) पैरा 6.7.4 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6.8 विशेष हैज लेखा अपेक्षाओं के प्रयोग में अस्थायी अपवाद

6.8.1 एक अस्तित्व, व्याज-दर बैंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतया प्रभावित सभी हैजिंग संबंधों पर पैरा 6.8.4-6.8.12 एवं 7.1.8 तथा 7.2.26(घ) को लागू करेगा। इन पैरा को केवल इस प्रकार के हैजिंग संबंधों पर ही लागू किया जाता है। एक हैजिंग संबंध पर व्याज-दर बैंचमार्क सुधार का प्रत्यक्ष प्रभाव तभी पड़ता है जब सुधार से निम्नलिखित के बारे में अनिश्चिता उत्पन्न होती है:

(क) व्याज-दर बैंचमार्क (संविदात्मक या गैर- संविदात्मक विशिष्ट) जब हैज्ड जोखिम के रूप में नामोद्दिष्ट हो: एवं/अथवा

(ख) हैज्ड मद या हैजिंग लिखत की बैंचमार्क आधारित नकदी प्रवाह का समय व राशि)।

6.8.2 पैरा 6.8.4-6.8.12 को लागू करने के प्रयोजन के लिए, शब्दावली (टर्म) व्याज-दर बैंचमार्क सुधार’ का संबंध बाजार विस्तृत व्याज-दर सुधारों से जिसमें एक व्याज-दर बैंचमार्क सुधार को किसी वैकल्पिक सुधार से बदला जाना भी शामिल है, जैसे कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड की जुलाई, 2014 की रिपोर्ट – ‘प्रमुख व्याज-दरों बैंचमार्कों में सुधार’¹, में दी गई सिफारिशों के फलस्वरूप है।

6.8.3 पैरा 6.8.4-6.8.12 केवल इन पैरा में निर्धारित अपेक्षाओं के अपवाद हैं। एक अस्तित्व अन्य सभी हैज लेखा अपेक्षाओं को व्याज-दर बैंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित हैजिंग संबंधों पर लागू करना जारी रखेगा।

नकदी प्रवाह हैज के लिए अति संभावित अपेक्षा

6.8.4 यह निश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि एक पूर्व अनुमानित संव्यवहार (या उसका कोई घटक) पैरा 6.3.3 की अपेक्षानुसार अति संभावित है, एक अस्तित्व यह मान लेगा कि हैज्ड नकदी प्रवाह (संविदात्मक या गैर-संविदात्मक विशिष्ट) आधारित व्याज-दर, व्याज-दर बैंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं की गई है।

¹ रिपोर्ट ‘प्रमुख व्याज-दर बैंचमार्क सुधार’ http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_140722.pdf पर उपलब्ध है।

नकदी प्रवाह हैज रिजर्व में एकत्रित राशि का पुनर्वर्गीकरण

- 6.8.5 पैरा 6.5.12 की अपेक्षा को लागू करने के प्रयोजन के लिए कि यह निश्चित करना कि हैज्ड भावी नकदी प्रवाह के होने की आशा है, एक अस्तित्व यह मान लेगा कि हैज्ड नकदी प्रवाह (संविदात्मक या गैर-संविदात्मक विशिष्ट) आधारित ब्याज-दर, ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं की गई है।

हैज्ड मद एवं हैजिंग लिखत के मध्य आर्थिक संबंध का आकलन

- 6.8.6 पैरा 6.4.1(ग)(i) एवं ख 6.4.4-ख6.4.6 की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए, एक अस्तित्व यह मान लेगा कि हैज्ड नकदी-प्रवाह एवं/अथवा हैज्ड जोखिम (संविदात्मक या गैर-संविदात्मक विशिष्ट) पर आधारित ब्याज-दर बैंचमार्क या हैजिंग लिखत के नकदी प्रवाहों पर आधारित ब्याज-दर बैंचमार्क, ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं की गई है।

एक मद के घटक को हैज्ड मद के रूप में नामोद्दिष्ट करना

- 6.8.7 जब तक पैरा 6.8.8 लागू नहीं होता, एक अस्तित्व ब्याज-दर जोखिम के गैर-संविदात्मक विशिष्ट बैंचमार्क घटक को हैज के लिए, यह कि जोखिम घटक हैजिंग के संबंध केवल प्रारंभ में अलग से पहचान योग्य होगा, इसके लिए पैरा 6.3.7(क) एवं ख6.3.8 को लागू करेगा।
- 6.8.8 जब अस्तित्व हैज प्रलेखन के अनुरूप बार-बार हैजिंग संबंध को पुनःस्थापित (यानि बंद है और फिर शुरू) करता है क्योंकि हैजिंग लिखत व हैज्ड मद दोनों बार-बार परिवर्तित होते हैं (यानि अस्तित्व ऐसी गतिमान प्रक्रिया का प्रयोग करता है जिसमें हैज्ड मदों व हैजिंग लिखतों ऐसे एक्सपोजर, के प्रबंधन के लिए प्रयोग होते हैं, जो लंबे समय तक एक समान नहीं रहते), अस्तित्व पैरा 6.3.7(क) एवं ख 6.3.8 की अपेक्षाओं को लागू करेगा क्योंकि केवल प्रारंभ में जब वह हैजिंग के संबंध में हैज्ड मद में नामोद्दिष्ट करता है और जोखिम घटक अलग-से पहचान योग्य होता है। हैजिंग संबंध में एक हैजिंग मद जब प्रारंभिक नामोद्देशन के समय जब आकलित की जाती है, तब वह चाहे प्रारंभिक आकलन हो या परवर्ती आकलन हो, उसी हैजिंग संबंध में परवर्ती पुनर्नामोद्देशन में पुनः आकलित नहीं की जाती है।

प्रयोग का समापन

- 6.8.9 एक अस्तित्व निम्नलिखित दोनों बातों में से जो भी बात पहले हो उस पर एक हैज्ड मद पर पैरा 6.8.4 को भावी प्रभाव से लागू करना बंद कर देगा-
- (क) जब ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता हैज्ड मद को ब्याज-दर बैंचमार्क आधारित नकदी प्रवाहों का समय या राशि विद्यमान न हो; और
- (ख) जब हैजिंग सम्बन्ध जिसका हैजिंग मद भाग हैं, समाप्त हो जाये।
- 6.8.10 एक अस्तित्व निम्नलिखित दोनों बातों में से जो भी बात पहले हो उस पर पैरा 6.8.5 को भावी प्रभाव से लागू करना बंद कर देगा:

- (क) जब ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता हैज्ड मद की न्यूनतम ब्याज-दर बैंचमार्क आधारित नकदी प्रवाहों का समय व राशि विद्यमान न हो; और
- (ख) जब बंद हैजिंग संबंध की नकदी प्रवाह रिजर्व की संपूर्ण एकत्रित राशि लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत कर ली गई हो।

- 6.8.11 एक अस्तित्व निम्नलिखित दोनों पर भावी प्रभाव से पैरा 6.8.6 को लागू करना बंद कर देगा :-

- (क) एक हैज्ड मद पर, जब ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता, हैज्ड मद की ब्याज-दर आधारित नकदी प्रवाहों का समय व राशि विद्यमान न हो; और
- (ख) एक हैजिंग लिखत पर जब ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता हैजिंग लिखत की ब्याज-दर बैंचमार्क आधारित नकदी प्रवाहों का समय व राशि विद्यमान न हो।

यदि हैजिंग के संबंध में जब हैज्ड मद व हैजिंग लिखत उसके भाग हों, पैरा 6.8.11(क) में निर्धारित तारीख या पैरा 6.8.11 (ख) में निर्धारित तारीख इन दोनों तारीखों में जो भी तारीख पहले आती है उस पर वह (हैजिंग संबंध) समाप्त हो जाता है, तो अस्तित्व आगे के लिए संबंध की समाप्ति की तारीख से पैरा 6.8.6 को लागू करना बंद कर देगा।

6.8.12 जब एक हैज्ड मद के रूप में एक समूह या हैजिंग लिखत के रूप में वित्तीय लिखतों का एक संयोजन बनाया जाता है तो एक अस्तित्व पैरा 6.8.9, 6.8.10 या 6.8.11, जो भी सुसंगत है, उसके अनुसरण में आगे के लिए व्यक्तिगत मद या वित्तीय लिखत पर पैरा 6.8.4-6.8.6 को भावी प्रभाव से लागू करना तब बंद कर देगा जब व्याज-दर बैचमार्क सुधार से उत्पन्न अनिश्चितता हैज्ड जोखिम और/अथवा उस मद या वित्तीय लिखत की व्याज-दर बैचमार्क आधारित नकदी प्रवाहों का समय व राशि विद्यमान न हो।”

(i) पैरा 7.1.7 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7.1.8 व्याज दर बैचमार्क सुधार (भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109 व भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 107) के अन्तर्गत खंड 6.8 जोड़ा गया है एवं पैरा 7.2.26 संशोधित किया गया है। कोई अस्तित्व इन संशोधन का प्रयोग 1 अप्रैल, 2020 से या इसके बाद की तारीख से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए करेगा।”

(ii) पैरा 7.2.20 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“हैज लेखा के लिए संक्रमणकाल (अध्याय 6) ”

(iii) पैरा 7.2.26 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7.2.26 एक अस्तित्व इस भारतीय लेखा मानक के हैज लेखा के अपेक्षाओं को भावी प्रभाव के अपवादस्वरूप :

(क)-(ग) [परिशिष्ट 1 देखें]

(घ) खंड 6.8 की अपेक्षाओं को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करेगा। यह पूर्व प्रभावी प्रयोग केवल उन्हीं हैजिंग संबंधों पर लागू होगा जो उस रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में विद्यमान हैं जिसमें एक अस्तित्व इन अपेक्षाओं को सर्वप्रथम लागू करता है या उसके पश्चात् नामोद्दिष्ट की गई है तथा नकदी प्रवाह हैज रिजर्व में एकत्रित राशि पर लागू होगा जो उस रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में विद्यमान है जिसमें एक अस्तित्व इन अपेक्षाओं को सर्वप्रथम लागू करेगा।”

(v) परिशिष्ट 1 में, पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4. संक्रमणकाल से संबंधित निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये पैरा भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, आईएफआरएस 9 की पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 109 में जारी रखा गया है :-

(i) पैरा 7.2.2

(ii) पैरा 7.2.6-7.2.7

(iii) पैरा 7.2.12-7.2.13

(iv) पैरा 7.2.14क-7.2.25

(v) पैरा 7.2.26(क)-(ग)

(vi) पैरा 7.2.27-7.2.28”

(घ) “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 116” में,-

(i) पैरा 46 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“46क व्यावहारिक उपाय के रूप में एक पट्टेदार यह मूल्यांकन करने का चयन कर सकता है कि क्या पैरा 46ख की शर्तें पूरी करने वाली किराया रियायत पट्टे में संशोधन है। इस प्रकार चयन करने वाला पट्टेदार किराया रियायत से पट्टा भुगतान में होने वाले किसी परिवर्तन को उसी प्रकार दर्ज करेगा जैसे वह इस मानक को लागू करने वाले परिवर्तन को उस स्थिति में दर्ज करता, यदि परिवर्तन पट्टा संशोधन नहीं होता।

46ख पैरा 46क में दिया गया व्यावहारिक उपाय केवल कोविड-19 महामारी के सीधे प्रभाव से होने वाली किराया रियायत पर लागू होती है और केवल उस स्थिति में जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं-

(क) पट्टा भुगतान में परिवर्तन से पट्टे के लिए संशोधित प्रतिफल प्राप्त होता है जो परिवर्तन से ठीक पहले के प्रतिफल के समान या उससे कम होता है।

(ख) पट्टा भुगतान में किसी प्रकार की कमी की जाने पर 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप के देय भुगतान प्रभावित होते हैं। (उदाहरण के लिए कोई किराया रियायत उसी स्थिति में इस शर्त को पूरा करेगी जब इससे 30 जून, 2021 या इससे पूर्व पट्टा भुगतान में कमी आए और 30 जून, 2021 के बाद पट्टा भुगतान में वृद्धि हो); और

(ग) पट्टे की अन्य निबंधन और शर्तों में कोई सारभूत परिवर्तन न हो।”।

(ii) पैरा 60 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“60क यदि कोई पट्टेदार पैरा 46क में दिए गए व्यावहारिक उदाहरण को लागू करता है तो वह निम्नलिखित का प्रकटन करेगा अर्थात् :-

(क) कि उसने पैरा 46ख की शर्तें पूरी करने वाली सभी किराया रियायतों पर व्यावहारिक उदाहरण लागू किया है या, यदि ऐसे सभी किराया रियायतों पर लागू नहीं किया है तो उन संविदाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी जिन पर उसने व्यावहारिक निर्णय लागू किया है (पैरा 2 देखें); और

(ख) जिन किराया रियायतों में पट्टेदार द्वारा पैरा 46क के व्यावहारिक उपाय लागू किया गया हो, उनसे उत्पन्न पट्टा भुगतान में परिवर्तन दर्शाने हेतु रिपोर्टिंग अवधि के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि।”।

(iii) परिशिष्ट ग1 में

(क) पैरा ग, के बाद, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“ग1क कोविड-19 से जुड़ी किराया रियायतें, जोड़े गए पैरा 46क, 46ख, 60क, ग20क और ग20ख जोड़े गए हैं कोई पट्टेदार उस संशोधन को 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगा। यदि किसी पट्टेदार ने इस संशोधन को जारी करने से पूर्व जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को अनुमोदित न किया हो, वैसी स्थिति में वह 01 अप्रैल, 2019 को या उसके शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि पर लागू की जा सकती है।”।

(ख) पैरा ग20 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“पट्टेदारों के लिए कोविड-19 से जुड़ी किराया रियायतें

ग20क कोई पट्टेदार कोविड-19 से जुड़ी रियायतें (पैरा ग1क देखें) उस संशोधन को जिस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि में पट्टेदार पहली बार संशोधन लागू किया हो उस अवधि के शुरू में प्रतिधारित आय के आदि शेष के समायोजन के तौर पर मूल रूप से लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता प्रदान करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से लागू करता है

ग20ख जिस रिपोर्टिंग अवधि में कोई पट्टेदार पहली बार कोविड-19 से जुड़ी किराया रियायतें लागू करता है, उस स्थिति में पट्टेदार के लिए पैरा भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 28(च) में अपेक्षित सूचनाएं प्रकट करना आवश्यक नहीं है।”।

(ड) “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 1” में,-

(i) पैरा 7 में, ‘सारवान’ की परिभाषा तथा सम्बंधित अनुच्छेद को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सारवान:

सूचना उस स्थिति में सारवान कहलाएगी जब उसके छूटने से, त्रुटिपूर्ण उल्लिखित होने से या फिर अस्पष्ट होने से, तर्कपूर्ण रूप से यह आशा की जा सकती है कि एक विशिष्ट रिपोर्टिंग अस्तित्व के बारे में वित्तीय सूचना देते समय इस प्रकार के वित्तीय विवरणों के आधार पर सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के मुख्य उपयोगकर्ता जब कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

सारवान सूचना की प्रकृति या महत्ता या फिर दोनों पर निर्भर करती है। एक अस्तित्व यह आकलन करता है कि सूचना व्यक्तिशः (यानि स्वयं में) या किसी अन्य सूचना के साथ इसके समग्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सारवान है या नहीं।

कोई सूचना उस स्थिति में अस्पष्ट होगी जब उसका संप्रेषण कुछ इस प्रकार से हो जिसका प्रभाव वित्तीय विवरणों के मुख्य उपयोगकर्ताओं पर कुछ ऐसा ही पड़े जैसे कि सूचना के छूटने या त्रुटिपूर्ण कथन से पड़ता है। नीचे कुछ ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिन परिस्थितियों में सूचना अस्पष्ट हो सकती है:-

- (क) एक सारवान मद, संव्यवहार या अन्य घटना के विषय में सूचना जो वित्तीय विवरणों में प्रकट की गयी है लेकिन उसकी प्रयुक्त भाषा अस्पष्ट या साफ न हो;
- (ख) एक सारवान मद, संव्यवहार या अन्य घटना की सूचना वित्तीय विवरणों में एक स्थान पर न देकर अलग-अलग स्थानों पर बिखेर दी जाती है;
- (ग) अलग-अलग किस्म की मदों, संव्यवहारों या अन्य घटनाओं को अनुचित रूप से संकलित कर दिया गया हो;
- (घ) एक-ही किस्म की मदों, संव्यवहारों या अन्य घटनाओं को अनुचित रूप से अलग-अलग कर दिया गया हो; एवं
- (ङ) सारवान सूचना के साथ गैर-महत्वपूर्ण सूचना इस सीमा तक मिला दी गयी है जिससे उपयोगकर्ता को यह निश्चित कर पाना कठिन हो कि कौन-सी सूचना महत्वपूर्ण है और इस तरह वित्तीय विवरणों की समुचित रूप से मात्रा ही कम हो जाए।

इस बात का निर्धारण करना कि एक विशिष्ट रिपोर्टिंग अस्तित्व के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के मुख्य उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गए निर्णय सूचना द्वारा तर्कपूर्ण रूप से प्रभावित होना प्रत्याशित हो सकते हैं, उस अस्तित्व को इस बात पर विचार करना होगा कि अस्तित्व के अपने हालात के साथ-साथ उन उपयोगकर्ताओं की अभिलक्षण क्या है।

बहुत-से वर्तमान व संभावनी निवेशक, ऋणदाता एवं अन्य लेनदार रिपोर्टिंग अस्तित्व को सीधे सूचना व अपेक्षित वित्तीय सूचना के लिए सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों पर ही निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप, ये ही वे मुख्य उपयोगकर्ता हैं जिन्हें सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरण निर्देशित हैं। ये वित्तीय विवरण केवल उन्हीं उपयोगकर्ताओं के निमित्त तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों की सम्यक जानकारी होती है और वे सूचना की समीक्षा एवं विश्लेषण ध्यानपूर्वक करते हैं। फिर भी, इन जानकार एवं विवेकपूर्ण उपयोगकर्ताओं को विकट आर्थिक गतिविधियों विषयक सूचना को समझने के लिए किसी परामर्शदाता (सलाहकार) की आवश्यकता पड़ सकती है।”

(ii) पैरा 139थ के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“139द-139ध [परिशिष्ट 1 देखें]

139न सारवानता की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 एवं भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन) के अन्तर्गत भारतीय लेखा मानक 1 का पैरा 7 एवं भारतीय लेखा मानक 8 का पैरा 5 संशोधित किए गए हैं तथा

भारतीय लेखा मानक 8 का पैरा 6 हटाया गया है। अस्तित्व इन संशोधनों को भावी प्रभाव से 1 अप्रैल 2020 या इसके पश्चात् की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधियों से लागू करेगा।”

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“10. संक्रमण काल और प्रभावी तारीख से संबंधित पैरा 139 से 139ड और 139ण-139त को भारतीय लेखा मानक 1 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। पैरा 139द को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस 17 “बीमा संविदा से संबंधित है, जिसके लिए तदनु रूप भारतीय लेखा मानक को तैयार किया जा रहा है। पैरा 139ध को शामिल नहीं किया गया है चूंकि यह आईएफआरएस मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे के कारण संशोधनों से संबंधित है, जिसके लिए तदनु रूप भारतीय लेखा मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे को तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएएस 1 की पैरा संख्याओं के साथ अनुरूपता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 1 में बनाए रखा गया है।”;

(च) “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 8” में,-

(i) पैरा 5 में सारवानता की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

““सारवानता” की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 1 के पैरा 7 में दी गयी है और इस लेखा मानक में भी उसी अर्थ में इसका उल्लेख किया जाएगा।”

(ii) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6 [परिशिष्ट 1 देखें]”

(iii) पैरा 53 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तारीख तथा संक्रमणकाल

54-54छ[परिशिष्ट 1 देखें]

54ज सारवानता की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 एवं भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन) के अन्तर्गत भारतीय लेखा मानक 1 का पैरा 7 एवं भारतीय लेखा मानक 8 का पैरा 5 को संशोधित किए गए हैं और भारतीय लेखा मानक 8 का पैरा 6 हटाया गया है। अस्तित्व इन संशोधनों को भावी प्रभाव से 1 अप्रैल 2020 या इसके पश्चात् की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधियों से लागू करेगा।”

(iv) परिशिष्ट 1 में, पैरा 3 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4 आईएएस 8 में पैरा 6 हटाया गया प्रतीत होता है। फिर भी, आईएएस 8 के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 8, में इस पैरा संख्या को जारी रखा गया है।

5 प्रभावी तारीख और संक्रमण काल से संबंधित आईएएस 8 के पैरा 54-54ड को भारतीय लेखा मानक 8 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। पैरा 54च-54छ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे के कारण संशोधनों से संबंधित है, जिसके लिए तदनु रूप भारतीय लेखा मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे को तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएएस 8 के पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 8 में बनाए रखा गया है।”

छ. “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 10” में,-

(i) पैरा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“21 यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद की गैर-समायोज्य घटनाएं सारवान हैं, तो तर्कसंगत रूप से यह आशा की जा सकती कि उनका अप्रकटीकरण उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के मुख्य उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग अस्तित्व के बारे में वित्तीय सूचना प्रदान करते हैं। तदनुसार, एक अस्तित्व रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोज्य घटना की प्रत्येक सारवान श्रेणी के लिए निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगा:-

(क) घटना की प्रकृति, और

(ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान अथवा यह विवरण कि प्रभाव का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।”

(ii) पैरा 22 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तारीख

23- 23ख [परिशिष्ट 1 देखें]

23ग सारवानता की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 एवं भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन), के अन्तर्गत पैरा 21 को संशोधित किया गया। एक अस्तित्व इन संशोधनों को तब प्रयोग में लाएगा जब वह भारतीय लेखा मानक 1 के पैरा 7 एवं भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 5 व 6 में सारवानता की परिभाषा के संशोधनों को लागू करेगा।”

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 2 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3. आई ए एस 10 के प्रभावी तारीख से संबंधित पैरा 23 से 23ख को भारतीय लेखा मानक 10 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। तथापि, आईएएस 10 के पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 10 में बनाए रखा गया है।”

ज. “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 34” में,-

(i) पैरा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“24 भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 1 सारवान सूचना को परिभाषित करता है और बंद परिचालनों (उदाहरण स्वरूप) सहित सारवान मदों के अलग-से प्रकटन की अपेक्षा करता है जबकि भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तनों त्रुटियों एवं लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रकटन की अपेक्षा करता है। इन दोनों ही लेखा मानकों में सारवानता का मात्रात्मक मागदर्शन समाविष्ट नहीं है।”

(ii) पैरा 55 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“56-58 [परिशिष्ट 1 देखें]

59 सारवानता की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 एवं भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन), के अन्तर्गत पैरा 24 में संशोधन किया गया है। एक अस्तित्व इन संशोधनों को तब लागू करेगा जब वह भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 1 के पैरा 7 एवं भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 8 के पैरा 5 व 6 में सारवानता की परिभाषा के संशोधनों को लागू करेगा।”

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7 प्रभावी तारीख से संबंधित पैरा 46-54 और 56-57 को भारतीय लेखा मानक 34 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। पैरा 58 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे के कारण संशोधनों से संबंधित है, जिसके लिए तदुत्तरूप भारतीय लेखा मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे को तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएस 34 के पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 34 में बनाए रखा गया है।”

झ. “भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 37” में,-

(i) पैरा 75 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“75 प्रबंधन या बोर्ड द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व पुनर्संरचना संबंधी लिया गया निर्णय रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में परिलक्षित बाध्यता को नहीं दर्शाता जब तक कि अस्तित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व निम्नलिखित कार्य न कर दे -

(क) पुनर्संरचना योजना क्रियान्वयन की शुरुआत; या

(ख) पुनर्संरचना योजना की मुख्य विशेषताओं कि उन प्रभावित पक्षकारों को स्पष्ट ढंग से की गयी घोषणा , जिस से उनमें यह विधिमान्य प्रत्याशा पैदा हो गयी हो कि अस्तित्व पुनर्संरचना करेगा।

यदि कोई अस्तित्व रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् पुनर्संरचना योजना प्रारंभ करता है या उन लोगों/ संगठनों के बीच उसकी मुख्य बातों की घोषणा कर देता है जो इससे प्रभावित होंगे तो उसे भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के अन्तर्गत प्रकटन अपेक्षित है यदि सारवान है और अप्रकटन से सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के मुख्य उपयोग कर्त्ताओं के उन आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित होने की आशा की जा सकती हो जो वे ऐसे वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग अस्तित्व की वित्तीय सूचना उपलब्ध करवाते हैं”;

(ii) पैरा 102 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“103 [परिशिष्ट 1 देखें]

104 सारवानता की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 एवं भारतीय लेखा मानक 8 का संशोधन) पैरा 75 का संशोधन करता है। एक अस्तित्व इन संशोधनों को तब लागू करेगा जब वह भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 1 के पैरा 7 एवं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस 8) के पैरा 5 व 6 में सारवानता की परिभाषा का संशोधन लागू करता है।”

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4 संक्रमण काल और प्रभावी तारीख से संबंधित आई ए एस 37 के पैरा 93-99 तथा 101 को भारतीय लेखा मानक 37 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि संक्रमण काल से संबंधित पैरा जहाँ भी उपयुक्त समझा गया है, आईएफआरएस 1 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रथम-बार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण, में शामिल किए गए हैं और प्रभावी तारीख से संबंधित पैरा भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। तथापि, आईएस 37 के पैरा संख्याओं के साथ अनुरूपता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 37 में बनाए रखा

गया है। पैरा 103 आईएफआरएस 17, बीमा संविदा से संबंधित है जिसके लिए समनुरूपी भारतीय लेखा मानक तैयारी के अधीन है।

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (खंड VIII)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 111(अ) द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2015 को प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365(अ) तारीख 30 मार्च, 2016; सा.का.नि. 258(अ) तारीख 17 मार्च, 2017, सा.का.नि. 310(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 की, सा.का.नि. 903(अ) तारीख 20 सितम्बर, 2018, सा.का.नि. 273(अ) तारीख 30 मार्च, 2019 और सा.का.नि. 274(अ) तारीख 30 मार्च, 2019 द्वारा उनमें संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2020

G.S.R. 463(E).— In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”,—
(A) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 103”, —
(i) for paragraph 3, the following shall be substituted, namely:—
“3 An entity shall determine whether a transaction or other event is a business combination by applying the definition in this Ind AS, which requires that the assets acquired and liabilities assumed constitute a business. If the assets acquired are not a business, the reporting entity shall account for the transaction or other event as an asset acquisition. Paragraphs B5–B12D provide guidance on identifying a business combination and the definition of a business.”;
(ii) after paragraph 64O, the following shall be inserted, namely:—
“64P *Definition of a Business* (Amendments to Ind AS 103), added paragraphs B7A–B7C, B8A and B12A–B12D, amended the definition of the term ‘business’ in Appendix A, amended paragraphs 3, B7–B9, B11 and B12 and deleted paragraph B10. An entity shall apply these amendments to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after the 1st April, 2020 and to asset acquisitions that occur on or after the beginning of that period.”;
(iii) in Appendix A, for definition of the term “business”, the following definition shall be substituted, namely:—
“**business** An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities.”;
(iv) in Appendix B,—
(I) for paragraph B7, the following shall be substituted, namely:—
“B7 A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to contribute to the creation of outputs. The three elements of a business are defined as follows (see paragraphs B8–B12D for guidance on the elements of a business):
(a) **Input:** Any economic resource that creates outputs, or has the ability to contribute to the creations of outputs, when one or more processes are applied to it. Examples include non-current assets

(including intangible assets or rights to use non-current assets), intellectual property, the ability to obtain access to necessary materials or rights and employees.

- (b) **Process:** Any system, standard, protocol, convention or rule that, when applied to an input or inputs, creates outputs or has the ability to contribute to the creations of outputs. Examples include strategic management processes, operational processes and resource management processes. These processes typically are documented, but the intellectual capacity of an organised workforce having the necessary skills and experience following rules and conventions may provide the necessary processes that are capable of being applied to inputs to create outputs. (Accounting, billing, payroll and other administrative systems typically are not processes used to create outputs.)
- (c) **Output:** The result of inputs and processes applied to those inputs that provide goods or services to customers, generate investment income (such as dividends or interest) or generate other income from ordinary activities.”;

(II) after paragraph B7, the following shall be inserted, namely:-

“Optional test to identify concentration of fair value

B7A Paragraph B7B sets out an optional test (the concentration test) to permit a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. An entity may elect to apply, or not apply, the test. An entity may make such an election separately for each transaction or other event. The concentration test has the following consequences:-

- (a) if the concentration test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed;
- (b) if the concentration test is not met, or if the entity elects not to apply the test, the entity shall then perform the assessment set out in paragraphs B8–B12D.

B7B The concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. For the concentration test:

- (a) gross assets acquired shall exclude cash and cash equivalents, deferred tax assets, and goodwill resulting from the effects of deferred tax liabilities;
- (b) the fair value of the gross assets acquired shall include any consideration transferred (plus the fair value of any non-controlling interest and the fair value of any previously held interest) in excess of the fair value of net identifiable assets acquired. The fair value of the gross assets acquired may normally be determined as the total obtained by adding the fair value of the consideration transferred (plus the fair value of any non-controlling interest and the fair value of any previously held interest) to the fair value of the liabilities assumed (other than deferred tax liabilities), and then excluding the items identified in sub-paragraph (a). However, if the fair value of the gross assets acquired is more than that total, a more precise calculation may sometimes be needed;
- (c) a single identifiable asset shall include any asset or group of assets that would be recognised and measured as a single identifiable asset in a business combination;
- (d) if a tangible asset is attached to, and cannot be physically removed and used separately from, another tangible asset (or from an underlying asset subject to a lease, as defined in Ind AS 116, *Leases*), without incurring significant cost, or significant diminution in utility or fair value to either asset (for example, land and buildings), those assets shall be considered a single identifiable asset;
- (e) when assessing whether assets are similar, an entity shall consider the nature of each single identifiable asset and the risks associated with managing and creating outputs from the assets (that is, the risk characteristics);
- (f) the following shall not be considered similar assets:
 - (i) a tangible asset and an intangible asset;
 - (ii) tangible assets in different classes (for example, inventory, manufacturing equipment and automobiles) unless they are considered a single identifiable asset in accordance with the criterion in subparagraph (d);
 - (iii) identifiable intangible assets in different classes (for example, brand names, licences and intangible assets under development);
 - (iv) a financial asset and a non-financial asset;
 - (v) financial assets in different classes (for example, accounts receivable and investments in equity instruments); and

- (vi) identifiable assets that are within the same class of asset but have significantly different risk characteristics.

B7C The requirements in paragraph B7B do not modify the guidance on similar assets in Ind AS 38, *Intangible Assets*; nor do they modify the meaning of the term ‘class’ in Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*, Ind AS 38 and Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*.”;

- (III) for paragraph B8, the following shall be substituted, namely:-

“Elements of a Business

B8 Although businesses usually have outputs, outputs are not required for an integrated set of activities and assets to qualify as a business. To be capable of being conducted and managed for the purpose identified in the definition of a business, an integrated set of activities and assets requires two essential elements—inputs and processes applied to those inputs. A business need not include all of the inputs or processes that the seller used in operating that business. However, to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create output. Paragraphs B12-B12D specify how to assess whether a process is substantive.”;

- (IV) after paragraph B8, the following shall be inserted, namely:-

“B8A If an acquired set of activities and assets has outputs, continuation of revenue does not on its own indicate that both an input and a substantive process have been acquired.”;

- (V) for paragraph B9, the following shall be substituted, namely:-

“B9 The nature of the elements of a business varies by industry and by the structure of an entity’s operations (activities), including the entity’s stage of development. Established businesses often have many different types of inputs, processes and outputs, whereas new businesses often have few inputs and processes and sometimes only a single output (product). Nearly all businesses also have liabilities, but a business need not have liabilities. Furthermore, an acquired set of activities and assets that is not a business might have liabilities.”;

- (VI) for paragraph B10, the following shall be substituted, namely:-

“B10 [Refer Appendix 1]”;

- (VII) for paragraph B11, the following shall be substituted, namely:-

“B11 Determining whether a particular set of activities and assets is a business shall be based on whether the integrated set is capable of being conducted and managed as a business by a market participant. Thus, in evaluating whether a particular set is a business, it is not relevant whether a seller operated the set as a business or whether the acquirer intends to operate the set as a business.”;

- (VIII) for paragraph B12, the following shall be substituted, namely:-

“Assessing whether an acquired process is substantive

B12 Paragraphs B12A–B12D explain how to assess whether an acquired process is substantive if the acquired set of activities and assets does not have outputs (paragraph B12B) and if it does have outputs (paragraph B12C).”;

- (IX) after paragraph B12, the following shall be inserted, namely:-

“B12A An example of an acquired set of activities and assets that does not have outputs at the acquisition date is an early-stage entity that has not started generating revenue. Moreover, if an acquired set of activities and assets was generating revenue at the acquisition date, it is considered to have outputs at that date, even if subsequently it will no longer generate revenue from external customers, for example because it will be integrated by the acquirer.

B12B If a set of activities and assets does not have outputs at the acquisition date, an acquired process (or group of processes) shall be considered substantive only if-

- (a) it is critical to the ability to develop or convert an acquired input or inputs into outputs; and
- (b) the inputs acquired include both an organised workforce that has the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process (or group of processes) and other inputs that the organised workforce could develop or convert into outputs. Those other inputs could include-
 - (i) intellectual property that could be used to develop a good or service;
 - (ii) other economic resources that could be developed to create outputs; or
 - (iii) rights to obtain access to necessary materials or rights that enable the creation of future outputs.

Examples of the inputs mentioned in subparagraphs (b)(i)–(iii) include technology, in-process research and development projects, real estate and mineral interests.

B12C If a set of activities and assets has outputs at the acquisition date, an acquired process (or group of processes) shall be considered substantive if, when applied to an acquired input or inputs, it-

- (a) is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organised workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process (or group of processes); or
- (b) significantly contributes to the ability to continue producing outputs and-
 - (i) is considered unique or scarce; or
 - (ii) cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

B12D The following additional discussion supports both paragraphs B12B and B12C:

- (a) an acquired contract is an input and not a substantive process. Nevertheless, an acquired contract, for example, a contract for outsourced property management or outsourced asset management, may give access to an organised workforce. An entity shall assess whether an organised workforce accessed through such a contract performs a substantive process that the entity controls, and thus has acquired. Factors to be considered in making that assessment include the duration of the contract and its renewal terms;
 - (b) difficulties in replacing an acquired organised workforce may indicate that the acquired organised workforce performs a process that is critical to the ability to create outputs;
 - (c) a process (or group of processes) is not critical if, for example, it is ancillary or minor within the context of all the processes required to create outputs.”;
- (v) in Appendix 1, for paragraph 6, the following shall be substituted, namely:-
- “6. The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IFRS 3. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 3, the paragraph numbers is retained in Ind AS 103:
- (a) Paragraph B10
 - (b) Paragraphs B28-B30
 - (c) Paragraph B32(a)”;
- (B) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 107”, -
- (i) after paragraph 24G, the following shall be inserted, namely:-

“*Uncertainty arising from interest rate benchmark reform*

24H For hedging relationships to which an entity applies the exceptions set out in paragraphs 6.8.4-6.8.12 of Ind AS 109, an entity shall disclose-

 - (a) the significant interest rate benchmarks to which the entity’s hedging relationships are exposed;
 - (b) the extent of the risk exposure the entity manages that is directly affected by the interest rate benchmark reform;
 - (c) how the entity is managing the process to transition to alternative benchmark rates;
 - (d) a description of significant assumptions or judgements the entity made in applying these paragraphs (for example, assumptions or judgements about when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows); and
 - (e) the nominal amount of the hedging instruments in those hedging relationships.”;
 - (ii) after paragraph 44CC, the following shall be inserted, namely:-

44DD [Refer Appendix 1];

44DE *Interest Rate Benchmark Reform* (amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107) added paragraphs 24H and 44DF. An entity shall apply these amendments when it applies the amendments to Ind AS 109.

44DF In the reporting period in which an entity first applies *Interest Rate Benchmark Reform*, an entity is not required to present the quantitative information required by paragraph 28(f) of Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.”
 - (iii) in Appendix 1, for paragraph 5, the following shall be substituted, namely:-

“5 Paragraphs 42I-42S of IFRS 7 have not been included in Ind AS 107 as these paragraphs relate to initial application of IFRS 9 which are not relevant in Indian context. Paragraphs 43-44BB related to effective date and transition given in IFRS 7 have not been given in Ind AS 107 since it is not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 7, these paragraph numbers are retained in Ind AS 107. Paragraph 44DD relates to IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation.”;

(C) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 109”, -

(i) after paragraph 6.7.4, the following shall be inserted, namely:-

“6.8 Temporary exceptions from applying specific hedge accounting requirements

6.8.1 An entity shall apply paragraphs 6.8.4–6.8.12 and paragraphs 7.1.8 and 7.2.26(d) to all hedging relationships directly affected by interest rate benchmark reform. These paragraphs apply only to such hedging relationships. A hedging relationship is directly affected by interest rate benchmark reform only if the reform gives rise to uncertainties about-

- (a) the interest rate benchmark (contractually or non-contractually specified) designated as a hedged risk; and/or
- (b) the timing or the amount of interest rate benchmark-based cash flows of the hedged item or of the hedging instrument.

6.8.2 For the purpose of applying paragraphs 6.8.4–6.8.12, the term ‘interest rate benchmark reform’ refers to the market-wide reform of an interest rate benchmark, including the replacement of an interest rate benchmark with an alternative benchmark rate such as that resulting from the recommendations set out in the Financial Stability Board’s July 2014 report ‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’.²

6.8.3 Paragraphs 6.8.4–6.8.12 provide exceptions only to the requirements specified in these paragraphs. An entity shall continue to apply all other hedge accounting requirements to hedging relationships directly affected by interest rate benchmark reform.

Highly probable requirement for cash flow hedges

6.8.4 For the purpose of determining whether a forecast transaction (or a component thereof) is highly probable as required by paragraph 6.3.3, an entity shall assume that the interest rate benchmark on which the hedged cash flows (contractually or non-contractually specified) are based is not altered as a result of interest rate benchmark reform.

Reclassifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve

6.8.5 For the purpose of applying the requirement in paragraph 6.5.12 in order to determine whether the hedged future cash flows are expected to occur, an entity shall assume that the interest rate benchmark on which the hedged cash flows (contractually or non-contractually specified) are based is not altered as a result of interest rate benchmark reform.

Assessing the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument

6.8.6 For the purpose of applying the requirements in paragraphs 6.4.1(c)(i) and B6.4.4– B6.4.6, an entity shall assume that the interest rate benchmark on which the hedged cash flows and/or the hedged risk (contractually or non-contractually specified) are based, or the interest rate benchmark on which the cash flows of the hedging instrument are based, is not altered as a result of interest rate benchmark reform.

Designating a component of an item as a hedged item

6.8.7 Unless paragraph 6.8.8 applies, for a hedge of a non-contractually specified benchmark component of interest rate risk, an entity shall apply the requirement in paragraphs 6.3.7(a) and B6.3.8—that the risk component shall be separately identifiable—only at the inception of the hedging relationship.

6.8.8 When an entity, consistent with its hedge documentation, frequently resets (i.e., discontinues and restarts) a hedging relationship because both the hedging instrument and the hedged item frequently change (i.e., the entity uses a dynamic process in which both the hedged items and the hedging instruments used to manage that exposure do not remain the same for long), the entity shall apply the requirement in paragraphs 6.3.7(a) and B6.3.8—that the risk component is separately identifiable—only when it initially designates a hedged item in that hedging

² The report, ‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’, is available at http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_140722.pdf.

relationship. A hedged item that has been assessed at the time of its initial designation in the hedging relationship, whether it was at the time of the hedge inception or subsequently, is not reassessed at any subsequent redesignation in the same hedging relationship.

End of application

- 6.8.9 An entity shall prospectively cease applying paragraph 6.8.4 to a hedged item at the earlier of-
- (a) when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows of the hedged item; and
 - (b) when the hedging relationship that the hedged item is part of is discontinued.
- 6.8.10 An entity shall prospectively cease applying paragraph 6.8.5 at the earlier of-
- (a) when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based future cash flows of the hedged item; and
 - (b) when the entire amount accumulated in the cash flow hedge reserve with respect to that discontinued hedging relationship has been reclassified to profit or loss.
- 6.8.11 An entity shall prospectively cease applying paragraph 6.8.6-
- (a) to a hedged item, when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the hedged risk or the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows of the hedged item; and
 - (b) to a hedging instrument, when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows of the hedging instrument.

If the hedging relationship that the hedged item and the hedging instrument are part of is discontinued earlier than the date specified in paragraph 6.8.11(a) or the date specified in paragraph 6.8.11(b), the entity shall prospectively cease applying paragraph 6.8.6 to that hedging relationship at the date of discontinuation.

- 6.8.12 When designating a group of items as the hedged item, or a combination of financial instruments as the hedging instrument, an entity shall prospectively cease applying paragraphs 6.8.4–6.8.6 to an individual item or financial instrument in accordance with paragraphs 6.8.9, 6.8.10, or 6.8.11, as relevant, when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the hedged risk and/or the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows of that item or financial instrument.”;

- (ii) after paragraph 7.1.7, the following shall be inserted, namely:-

“7.1.8 *Interest Rate Benchmark Reform* (amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107), added Section 6.8 and amended paragraph 7.2.26. An entity shall apply these amendments for annual periods beginning on or after the 1st April, 2020.”;

- (iii) after paragraph 7.2.20, the following heading shall be inserted, namely:-

“Transition for hedge accounting (Chapter 6)”;

- (iv) for paragraph 7.2.26, the following shall be substituted, namely:-

“7.2.26 As an exception to prospective application of the hedge accounting requirements of this Standard, an entity-

- (a)-(c) [Refer Appendix 1]

- (d) shall apply the requirements in Section 6.8 retrospectively. This retrospective application applies only to those hedging relationships that existed at the beginning of the reporting period in which an entity first applies those requirements or were designated thereafter, and to the amount accumulated in the cash flow hedge reserve that existed at the beginning of the reporting period in which an entity first applies those requirements.”;

- (v) in Appendix 1, for paragraph 4, the following shall be substituted, namely:-

“4. Following paragraphs related to transition have not been included as these paragraphs are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, the paragraph numbers are retained in Ind AS 109:

- (i) Paragraph 7.2.2
- (ii) Paragraphs 7.2.6-7.2.7

- (iii) Paragraphs 7.2.12-7.2.13
- (iv) Paragraphs 7.2.14A-7.2.25
- (v) Paragraphs 7.2.26 (a)-(c)
- (vi) Paragraphs 7.2.27-7.2.28”;

(D) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 116”, -

(i) after paragraph 46, the following shall be inserted, namely:-

“46A As a practical expedient, a lessee may elect not to assess whether a rent concession that meets the conditions in paragraph 46B is a lease modification. A lessee that makes this election shall account for any change in lease payments resulting from the rent concession the same way it would account for the change applying this Standard if the change were not a lease modification.

46B The practical expedient in paragraph 46A applies only to rent concessions occurring as a direct consequence of the covid-19 pandemic and only if all of the following conditions are met:-

- (a) the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change;
- (b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2021 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2021); and
- (c) there is no substantive change to other terms and conditions of the lease.”;

(ii) after paragraph 60, the following shall be inserted, namely:-

“60A If a lessee applies the practical expedient in paragraph 46A, the lessee shall disclose-

- (a) that it has applied the practical expedient to all rent concessions that meet the conditions in paragraph 46B or, if not applied to all such rent concessions, information about the nature of the contracts to which it has applied the practical expedient (see paragraph 2); and
- (b) the amount recognised in profit or loss for the reporting period to reflect changes in lease payments that arise from rent concessions to which the lessee has applied the practical expedient in paragraph 46A.”;

(iii) in Appendix C,

(a) after paragraph C1, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“C1A *Covid-19-Related Rent Concessions*, added paragraphs 46A, 46B, 60A, C20A and C20B. A lessee shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after the April 1st, 2020. In case a lessee has not yet approved the financial statements for issue before the issuance of this amendment, then the same may be applied for annual reporting periods beginning on or after the April 1st, 2019.”;

(b) after paragraph C20, the following shall be inserted, namely:-

“Covid-19-related rent concessions for lessees

C20A A lessee shall apply *Covid-19-Related Rent Concessions* (see paragraph C1A) retrospectively, recognising the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

C20B In the reporting period in which a lessee first applies *Covid-19-Related Rent Concessions*, a lessee is not required to disclose the information required by paragraph 28(f) of Ind AS 8.”;

(E) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 1”, -

(i) in paragraph 7, for the definition of the term “Material”, the following shall be substituted, namely:-

“Material:

Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.

Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statements to omitting or misstating that information. The following are examples of circumstances

that may result in material information being obscured:-

- (a) information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in the financial statements but the language used is vague or unclear;
- (b) information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statements;
- (c) dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;
- (d) similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and
- (e) the understandability of the financial statements is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that a primary user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users of a specific reporting entity's general purpose financial statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also considering the entity's own circumstances.

Many existing and potential investors, lenders and other creditors cannot require reporting entities to provide information directly to them and must rely on general purpose financial statements for much of the financial information they need. Consequently, they are the primary users to whom general purpose financial statements are directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyse the information diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.”;

- (ii) after paragraph 139Q, the following shall be inserted, namely:-

“139R-139S [Refer Appendix 1]

139T *Definition of Material* (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8) amended paragraph 7 of Ind AS 1 and paragraph 5 of Ind AS 8, and deleted paragraph 6 of Ind AS 8. An entity shall apply those amendments prospectively for annual periods beginning on or after the 1st April, 2020.”;
- (iii) in Appendix 1, for paragraph 10, the following shall be substituted, namely:-

“10. Paragraphs 139 to 139M and 139O-139P related to Transition and Effective Date have not been included in Ind AS 1 as these are not relevant in Indian context. Paragraph 139R relates to IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. Paragraph 139S is not included since it relates to amendments due to *Conceptual Framework for Financial Reporting under IFRS Standards* for which corresponding *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, these paragraph numbers are retained in Ind AS 1.”;
- (F) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 8”, -
 - (i) in paragraph 5, for the definition of term “Material”, the following shall be substituted, namely:-

“the term “Material”, used in this Standard shall have the same meaning as assigned to it in paragraph 7 of Ind AS 1.”;
 - (ii) for paragraph 6, the following shall be substituted, namely:-

“6 [Refer Appendix 1]”;
 - (iii) after paragraph 53, the following shall be inserted, namely:-

“Effective date and transition

54-54G [Refer Appendix 1]

54H *Definition of Material* (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8), amended paragraph 7 of Ind AS 1 and paragraph 5 of Ind AS 8, and deleted paragraph 6 of Ind AS 8. An entity shall apply those amendments prospectively for annual periods beginning on or after the 1st April, 2020.”;
 - (iv) in Appendix 1, after paragraph 3, the following shall be inserted, namely:-

“4 Paragraph 6 appears as ‘deleted’ in IAS 8. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 8, the paragraph number is retained in Ind AS 8.

5 Paragraphs 54-54E of IAS 8 related to Effective Date and transition have not been included in Ind AS 8 as these are not relevant in Indian context. Paragraphs 54F-54G are not included since these relate to amendments due to *Conceptual Framework for Financial Reporting under IFRS Standards* for which corresponding *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* is

under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 8, these paragraph numbers are retained in Ind AS 8.”;

(G) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 10”, -

(i) for paragraph 21, the following shall be substituted, namely:-

“21 If non-adjusting events after the reporting period are material, non-disclosure could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. Accordingly, an entity shall disclose the following for each material category of non-adjusting event after the reporting period-

(a) the nature of the event; and

(b) an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.”;

(ii) after paragraph 22, the following shall be inserted, namely:-

“Effective date

23-23B [Refer Appendix 1]

23C *Definition of Material* (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8), amended paragraph 21. An entity shall apply those amendments when it applies the amendments to the definition of material in paragraph 7 of Ind AS 1 and paragraphs 5 and 6 of Ind AS 8.”

(iii) in Appendix 1, after paragraph 2, the following shall be inserted, namely:-

“3 Paragraphs 23-23B of IAS 10 related to Effective Date have not been included in Ind AS 10 as these are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 10, these paragraph numbers are retained in Ind AS 10.”;

(H) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 34”, -

(i) for paragraph 24, the following shall be substituted, namely:-

“24 Ind AS 1 defines material information and requires separate disclosure of material items, including (for example) discontinued operations, and Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* requires disclosure of changes in accounting estimates, errors, and changes in accounting policies. The two Standards do not contain quantified guidance as to materiality.”;

(ii) after paragraph 55, the following shall be inserted, namely:-

“56-58 [Refer Appendix 1]

59 *Definition of Material* (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8) amended paragraph 24. An entity shall apply those amendments when it applies the amendments to the definition of material in paragraph 7 of Ind AS 1 and paragraphs 5 and 6 of Ind AS 8.”;

(iii) in Appendix 1, for paragraph 7, the following shall be substituted, namely:-

“7 Paragraphs 46-54 and 56-57 related to effective date have not been included in Ind AS 34 as these are not relevant in Indian context. Paragraph 58 is not included since it relates to amendments due to *Conceptual Framework for Financial Reporting under IFRS Standards* for which corresponding *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34, these paragraph numbers are retained in Ind AS 34.”;

(I) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 37”, -

(i) for paragraph 75, the following shall be substituted, namely:-

“75 A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period-

(a) started to implement the restructuring plan; or

(b) announced the main features of the restructuring plan to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.

If an entity starts to implement a restructuring plan, or announces its main features to those affected, only after the reporting period, disclosure is required under Ind AS 10 *Events after the Reporting Period*, if the restructuring is material and non-disclosure could reasonably be expected to influence

decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.”;

- (ii) after paragraph 102, the following shall be inserted, namely:-

“103 [Refer Appendix 1]

104 *Definition of Material* (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8), amended paragraph 75. An entity shall apply those amendments when it applies the amendments to the definition of material in paragraph 7 of Ind AS 1 and paragraphs 5 and 6 of Ind AS 8.”;

- (iii) in Appendix 1, for paragraph 4, the following shall be substituted, namely:-

“4. Paragraphs 93-99 and 101 related to Transitional Provisions and Effective date given in IAS 37 have not been given in Ind AS 37, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards and paragraphs related to Effective date are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 37, these paragraph numbers are retained in Ind AS 37. Paragraph 103 relates to IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation.”;

[F.No.01/01/2009-CL-V (Pt.VIII)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th February, 2015 vide number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and were subsequently amended vide notifications number G.S.R. 365 (E), dated the 30th March, 2016, number G.S.R. 258(E), dated the 17th March, 2017, number G.S.R. 310(E), dated the 28th March, 2018, number G.S.R. 903(E), dated the 20th September, 2018, G.S.R. 273(E), dated the 30th March, 2019 and number G.S.R. 274 (E), dated the 30th March, 2019.